न्यायालय: अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–6, लखीमपुर खीरी।

पीठासीन: अभिषेक कुमार श्रीवास्तव, उ०प्र० उच्चतर न्यायिक सेवा।

दाण्डिक निगरानी सं०–29/2026

रजि० नं०–34/2026

CNRUPLP01–001340–2026

पुत्तन अली उम्र 60 वर्ष पुत्र अलीबक्श निवासी मो० सरैय्या, कस्बा व थाना मोहम्मदी, जिला खीरी।

–––––– निगरानीकर्ता।

बनाम

1– वसीयन उम्र लगभग 51 वर्ष पत्नी वसीम खाँ पुत्री मसीउल्ला निवासी मो० देवीस्थान, कस्बा व थाना मोहम्मदी, जिला खीरी।

2–फारूख उम्र लगभग 45 वर्ष पुत्र मुस्ताक निवासी ग्राम धमौला, थाना मोहम्मदी, जिला खीरी।

3–जावेद उम्र लगभग 42 वर्ष पुत्र अख्तर खॉ निवासी मो० बाजार खुर्द, कस्बा व थाना मोहम्मदी, जिला खीरी।

4– वसीम उम्र लगभग 54 वर्ष पुत्र रफायत निवासी मो० देवीस्थान, कस्बा व थाना मोहम्मदी, जिला खीरी।

5– उ०प्र० सरकार जरिये जिलाधिकारी महोदय, लखीमपुर खीरी।

––––––––– प्रत्यर्थीगण।

निर्णय

1– प्रस्तुत निगरानी, निगरानीकर्ता की ओर से विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी द्वारा प्रकीर्ण फौ० सं०–172/2025, पुत्तन अली बनाम वसीयन बेगम आदि में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 23–01–2026 के विरूद्ध संस्थित किया गया है, जिसमें मु०अ०सं०–5/2021 में प्रेषित अन्तिम आख्या–06/2024 स्वीकार किया गया है।

2– निगरानीकर्ता की ओर से प्रस्तुत निगरानी के आधार इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय ने मात्र विवेचनाधिकारी द्वारा अंतिम रिपोर्ट पर प्रस्तुत साक्ष्यों पर विश्वास करके पुनरीक्षणकर्ता के प्रार्थना–पत्र को निरस्त कर महान भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय इस बात पर ध्यान न देकर महान भूल की है कि विक्रेता युसुफ अली द्वारा विक्रय–पत्र/ बैनामा 153/275 युसुफ अली का अंश 0.425 हे0 है। जिसमें विक्रेता युसुफ अली ने दिनांक 14/12/2000 को अपने अंश 1/3 के 1/3 अर्थात 1/9 भाग कुल रकबा का 0.141 हे0 का विक्रय–पत्र विपक्षी सं० 1 वसीयन के हक में निष्पादित किया तथा शेष अंश अर्थात 1/3 का 2/3 कुल खाते का 0. 283 हे0 का विक्रय–पत्र दिनांक 12/02/2002 को पुर्नरीक्षणकर्ता के हक में निष्पादित कर कब्जा व दखल दे दिया। इस प्रकार विक्रेता युसुफ अली ने अपने सम्पूर्ण अंश का विक्रय कर दिया। अब उसके पास कोई भी शेष अंश विक्रय हेतु नहीं रह गया था। विक्रेता युसूफ अली की मृत्यु हो चुकी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान न देकर विपक्षी सं०–4 वसीम जोकि विपक्षी सं०–1 का पति है, युसुफ अली के साथ मिलकर षड्यंत्र कर पुनरीक्षणकर्ता को नुकसान पहुंचाने के उद्देश्य से बगैर किसी हक के पुनः 1/15 अंश का विक्रय–पत्र दिनांक 04/07/2002 को विपक्षी सं०–1 के हक में कूटरचित करवाया गया। इस षड्यंत्र में बैनामा के हासिया गवाह विपक्षी सं०–2 व 3 सक्रिय रूप से सम्मिलित रहे है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान न देकर महान भूल की है कि पुर्नरीक्षणकर्ता द्वारा शेष अंश कय करने के उपरान्त कोई

भूमि विक्रेता के पास शेष नहीं रह गयी थी। फिर भी विपक्षीगण द्वारा पुनरीक्षणकर्ता के द्वारा कय की गयी भूमि को हड़पने के उद्देश्य से फर्जी प्रभावशून्य दस्तावेज कूटरचित किये गये है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान न देकर महान भूल की है कि विवेचनाधिकारी द्वारा प्रस्तुत अंतिम रिपोर्ट में विपक्षीगणों द्वारा उनके मिलने वालों के साक्ष्य शपथ–पत्र लेकर किसी को आधार बनाकर अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। जबकि पुनरीक्षणकर्ता के साक्ष्यों को सही तरीके से अंतिम रिपोर्ट में सम्मिलित नहीं किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने इस बात पर ध्यान न देकर महान भूल की है कि विपक्षीगण द्वारा विवेचनाधिकारी से सांठ गांठ करके पुनरीक्षणकर्ता के साक्ष्यों की अनदेखी करके अंतिम रिपोर्ट न्यायालय में प्रस्तुत की है। अधीनस्थ न्यायालय का आदेश विधि एवं न्याय के विपरीत है, इसलिए निरस्त होने योग्य है। अतः पुनरीक्षणकर्ता के प्रार्थना–पत्र को स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांकित 23/01/2026 को निरस्त करने की प्रार्थना की गयी है।

3– प्रत्यर्थीगण/ विपक्षीगण वसीयन बेगम आदि की ओर से आपत्ति कागज सं०–15 ख इस आशय का प्रस्तुत किया गया है कि अवर न्यायालय श्रीमान् अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय मोहम्मदी ने दिनांक 19–12–2020 को आदेश दिया था कि पुनरीक्षणकर्ता के प्रार्थना पत्र दिनांकित 31–8–2019 के आधार पर प्रभारी निरीक्षक मोहम्मदी ने मुकदमा दर्ज कर के विवेचना करें। विवेचक महोदय न्यायालय के आदेश से विवेचना की और विवेचना करने के उपरांत प्रश्नगत प्रकरण को गलत पाया। पुर्नरीक्षणकर्ता ने गलत प्रार्थना पत्र दिया था, विवेचनाधिकारी ने विवेचना करने के बाद प्रथम सूचना रिपोर्ट गलत पाये जाने पर अंतिम रिपोर्ट संख्या 22/2021 दिनांकत 8–3–2021 को न्यायालय में दाखिल कर दी। अवर न्यायालय ने पत्रावली पर मौजूद साक्ष्य के आधार पर आदेश पारित किया है, अवर न्यायालय ने विवेचना अधिकारी द्वारा की गयी विवेचना व साक्ष्य का अच्छी तरह अवलोकन किया तथा साक्ष्य को गहनता से पढ़ा। विवेचना अधिकारी की विवेचना में ऐसा कोई साथ नहीं आया, जिससे यह प्रतीत हो की विवेचना गलत साक्ष्य पर आधारित है। अवर न्यायालय को विवेचना सही तथ्य परक मालूम हुई, इसलिए पुलिस द्वारा भेजी गयी अंतिम रिपोर्ट स्वीकार की गयी। पुनरीक्षणकर्ता ने अवर न्यायालय के समक्ष ऐसा कोई साक्षी प्रस्तुत नहीं किया, जिससे यह मालूम होता कि विवेचना अधिकारी के साक्ष्य को छोड़कर विवेचना की है। गलत अंतिम रिपोर्ट दी है। पुनरीक्षणकर्ता ने अवर न्यायालय में भी प्रोटेस्ट प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल नहीं की और न ही कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया, इसलिए विवेचना अधिकारी की अंतिम रिपोर्ट सही है। विक्रेता युसूफ अली ने गाटा संख्या 153/1.275 हेक्टेयर में अपना अंश 1/3 भाग वसीयन बेगम के हक में दिनांक 14–12–2000 को विक्रय पत्र निष्पादित किया तथा शेष अंश खाते का कुल भाग दिनांक 12.2.2002 को युसूफ अली ने बैनामा करने से सब रजिस्ट्रार महोदय के समक्ष मना कर दिया था। सब रजिस्ट्रार के आदेश की अपील हुई। अपील के आदेश से कथित बैनामा हुआ। वह भी क्रेता पुत्तन अली पेश किया। इस आदेश के विरुद्ध विपक्षी ने माननीय उच्च न्यायालय में रिट दाखिल कर रखी है। प्रश्नगत प्रकरण दीवानी से संबंधित है, लेकिन पुनरीक्षणकर्ता उसको फौजदारी में दाखिल करना चाहता है। युसूफ अली विक्रेता ने पुनरीक्षण के कथित बैनामा दिनांक 12.2.2002 को निरस्त करवाने का वाद न्यायालय श्रीमान् सिविल जज (जू० डि०) महोदय मोहम्मदी में दायर कर रखा है, उसमें तारीख पेशी 2–7–2026 लगी है तथा विपक्षी सं०–1 वसीयन बेगम ने भी पुनरीक्षणकर्ता के कथित बैनामा दिनांक 12–2–2002 को निरस्त करवाने का दावा सिविल जज के न्यायालय में दायर कर रखा है, जिसमें तारीख पेशी 01–07–2026 लगी है। पुनरीक्षणकर्ता का गाटा संख्या 153/1.275 हेक्टेयर के किसी भी अंश पर कोई कब्जा व दखल नहीं है। सारी भूमि वसीयन बेगम विपक्षी नं०–1 के कब्जे व दखल में है। पुनरीक्षणकर्ता ने विपक्षी सं०–1 के हक में निष्पादित व पंजीकृत बैनामा दिनांकित 4–7–2002 को निरस्त करवाने का वाद दीवानी न्यायालय में दायर कर रखा है। विपक्षी सं०–1 के हक में किया गया बैनामा वैध है। युसूफ अली ने संपूर्ण प्रतिफल लेकर बैनामा किया है और कब्जा व दखल दिया है। उक्त बैनामा से बैनामा के हासिया गवाह फारूख व जावेद से कोई मतलब नहीं है। गवाह फारूख की मृत्यु हो गई है। गवाह सिर्फ विक्रेता की शिनाख्त करता है और बैनामा होने की पुष्टि करता है। बाकी हसिया गवाह का कोई मतलब नहीं होता है।

पुनरीक्षणकर्ता के अपने प्रार्थना पत्र की धारा 9 व 10 में सारा गलत लिखा है, उसके कथन अनुसार मामला दीवानी का है, प्रभाव शून्य दस्तावेज देखने का अधिकार दीवानी न्यायालय को है। पुनरीक्षणकर्ता के प्रार्थना पत्र की धारा 11 में लिखा गया सारा कथन गलत है कि विपक्षी ने विवेचना अधिकारी से कोई साठ–गाठ की है। विपक्षी विवेचना अधिकारी को पहचानता तक नहीं है। पुनरीक्षणकर्ता ने गलत तथ्यों के आधार पर धारा 156(3) दं०प्र०सं० का प्रार्थना पत्र दिया था। न्यायालय के आदेश से विवेचना की गई विवेचना उपरांत सारा प्रकरण फर्जी पाया गया और मामला दीवानी से संबंधित पाया गया, इसलिए माननीय न्यायालय ने विवेचना अधिकारी द्वारा प्रेषित अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करके वाद की कार्यवाही समाप्त कर दी। अवर न्यायालय के आदेश में कोई त्रुटि नहीं है, विधि सम्मत आदेश है। अतः पुनरीक्षणकर्ता का प्रार्थना पत्र बलहीन होने के कारण निरस्त कर अवर न्यायालय का आदेश दिनांक 23–01–2026 यथावत रखे जाने की प्रार्थना की गयी है।

4– निगरानीकर्ता की ओर से सूची कागज सं०–5 ख के माध्यम से नकल आलोच्य आदेश दिनांकित 23–01–2026, नकल आदेश दिनांकित 17–05–2025 की सत्यप्रतिलिपियां तथा अन्तिम रिपोर्ट, प्रथम सूचना रिपोर्ट, विक्रय पत्र वसीयन द्वारा यूसूफ अली दिनांकित 14–12–2000, विक्रय पत्र दिनांकित 12–02–2002 यूसुफ अली द्वारा पुत्तन अली, विक्रिय पत्र दिनांकित 04–07–2002 यूसुफ अली द्वारा वसीयन, खतौनी गाटा सं०–153 रकबा 1.2750 युसूफ अली की छायाप्रतियां प्रस्तुत की गयी है।

5– निगरानीकर्ता एवं प्रत्यर्थीगण के विद्वान अधिवक्तागण तथा प्रत्यर्थी राज्य की ओर से विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (दाण्डिक) की तर्कपूर्ण बहस सुना एवं पत्रावली का सम्यक् अवलोकन किया।

6– पुनरीक्षणकर्ता की ओर से मुख्यतः यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेचना अधिकारी ने उसके द्वारा बताये गये साक्षियों एवं साक्ष्यों का समुचित परीक्षण नहीं किया; प्रत्यर्थी पक्ष के पक्ष में कथन एवं शपथपत्र लेकर उन पर अनुचित रूप से विश्वास किया गया; युसूफ अली द्वारा अपने हिस्से का पूर्व में पूर्ण विक्रय कर दिये जाने के बावजूद बाद का विक्रयपत्र वैध मान लिया गया; प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा कथित रूप से कूटरचित किये गये दिनांक 04.07.2002 के दस्तावेज के आपराधिक पहलू पर ध्यान नहीं दिया गया; प्रकरण को मात्र दीवानी प्रकृति का मानकर अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करना विधिसम्मत नहीं है तथा मजिस्ट्रेट द्वारा उपलब्ध सामग्री का स्वतंत्र एवं समुचित परीक्षण नहीं किया गया। पुनरीक्षणकर्ता द्वारा यह भी इंगित किया गया है कि उसने दिनांक 17.07.2025 को अन्तिम रिपोर्ट का विरोध करते हुए एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा उसमें विस्तृत प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत करने हेतु अवसर की प्रार्थना की गयी थी।

7– प्रत्यर्थी पक्ष की ओर से तर्क दिया गया कि वास्तविक विवाद परस्पर परस्पर विरोधी विक्रयपत्रों, उनके पंजीकरण, भूमि के स्वत्व, कब्जे एवं राजस्व अभिलेखों से संबंधित है। यह भी तर्क दिया गया कि दिनांक 12.02.2002 के विक्रयपत्र को लेकर स्वयं विभिन्न दीवानी एवं राजस्व कार्यवाहियां लंबित/संचालित रही हैं तथा संबंधित दस्तावेजों को निरस्त कराने के लिए भी सक्षम दीवानी न्यायालय में कार्यवाहियां की गयी हैं। प्रत्यर्थी पक्ष के अनुसार किसी व्यक्ति द्वारा युसूफ अली का प्रतिरूपण किये जाने, युसूफ अली के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रस्तुत किये जाने, उसके हस्ताक्षर/ अंगूठा निशान कूटरचित किये जाने अथवा पंजीयन अभिलेख में कोई जाली प्रविष्टि किये जाने का कोई विश्वसनीय साक्ष्य विवेचना में नहीं मिला।

8– दोनों पक्षों द्वारा प्रस्तुत तथ्यों एवं तर्कों के दृष्टिगत पुनरीक्षण याचिका में निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं –

(i) क्या पुनरीक्षणकर्ता को अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध अपनी आपत्ति/ प्रोटेस्ट प्रस्तुत करने का पर्याप्त एवं प्रभावी अवसर मिला?

(ii) क्या मात्र यह तथ्य कि दिनांक 17.07.2025 के प्रार्थना पत्र में आगे विस्तृत प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने हेतु अवसर मांगा गया था, आदेश दिनांक 23.01.2026 को अवैध बनाता है?

(iii) क्या भूमि एवं विक्रयपत्र संबंधी उपलब्ध सामग्री से धारा 419, 420, 466 एवं 471 भा०दं०सं० के आवश्यक तत्व प्रथमदृष्टया प्रकट होते हैं?

(iv) क्या धारा 323, 504, 506 एवं 427 भा०दं०सं० के संबंध में ऐसी सामग्री की उपेक्षा हुई है जिससे अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने वाला आदेश विकृत अथवा अवैध हो?

(v) क्या आक्षेपित आदेश में ऐसी स्पष्ट अवैधता (manifest illegality), विकृति (perversity) अथवा महत्वपूर्ण प्रक्रियागत अनियमितता (material irregularity) है, जिसमें पुनरीक्षणीय न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप आवश्यक हो?

9– पुलिस द्वारा अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने पर मजिस्ट्रेट पुलिस के मत से बाध्य नहीं है। वह उपलब्ध केस डायरी एवं विवेचना सामग्री का स्वतंत्र परीक्षण कर अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार कर सकता है, उससे असहमत होकर पुलिस द्वारा एकत्र सामग्री के आधार पर संज्ञान ले सकता है अथवा आवश्यक परिस्थितियों में आगे की विवेचना का निर्देश दे सकता है। विधिक दृष्टान्त Vishnu Kumar Tiwari v. State of U.P., (2019) 8 SCC 27 के सिद्धान्तों को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने विधिक दृष्टान्त Mukhtar Zaidi v. State of U.P., 2024 INSC 316 में पुनः स्पष्ट किया है। इसी निर्णय में स्पष्ट किया गया है कि जब मजिस्ट्रेट अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने पर विचार करता है तब सूचनादाता को उसकी सूचना देकर आपत्ति व्यक्त करने का अवसर दिया जाना आवश्यक है। सूचनादाता सामान्यतः प्रोटेस्ट पिटीशन के माध्यम से ऐसी आपत्ति रखता है। परन्तु हर प्रोटेस्ट पिटीशन को अनिवार्य रूप से परिवाद केस के रूप में ग्रहण करना आवश्यक नहीं है। यदि मजिस्ट्रेट अन्तिम रिपोर्ट, केस डायरी तथा धारा 161 Cr.P.C. के कथनों के परीक्षण के बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि कोई प्रथमदृष्टया मामला नहीं बनता, तो मात्र प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल होने से वह अभियुक्तों को तलब करने के लिए बाध्य नहीं हो जाता। यदि प्रोटेस्ट पिटीशन को स्वतंत्र परिवाद के रूप में ग्रहण किया जाता है तो परिवाद प्रक्रिया का पालन करना आवश्यक होता है। अतः इस मामले में वास्तविक प्रश्न यह नहीं है कि क्या "प्रोटेस्ट पिटीशन" नाम से कोई अलग कागज दाखिल हुआ था, अपितु यह है कि क्या पुनरीक्षणकर्ता अन्तिम रिपोर्ट से अवगत था, क्या उसने उसके विरुद्ध अपना पक्ष रखा, और क्या उसे अपनी आपत्तियां रखने के लिए वास्तविक एवं पर्याप्त अवसर मिला?

10– उक्त के दृष्टिगत दिनांक 17.07.2025 के प्रार्थना–पत्र का अवलोकन महत्वपूर्ण है, जिसमे यह शीर्षक ''प्रार्थना पत्र वास्ते निरस्त किये जाने अन्तिम रिपोर्ट'' अंकित है, जिसके अनुसार उक्त प्रार्थना पत्र का आशय प्रस्तुत अन्तिम रिपोर्ट को निरस्त किये जाने का था। इसके अलावा पुनरीक्षणकर्ता ने स्पष्ट रूप से कहा कि विवेचना सही प्रकार से नहीं की गयी; उसके साक्षियों की अनदेखी हुई; विवेचक द्वारा अभियुक्तगण से कथित सांठ–गांठ कर गलत अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की गयी तथा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार किया जाना न्यायहित में उचित नहीं होगा। प्रार्थना पत्र के अन्त में यह अवश्य प्रार्थना की गयी कि अन्तिम रिपोर्ट निरस्त कर उसे प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत करने का अवसर दिया जाए। इस प्रकार उक्त प्रार्थना पत्र को मात्र मौका प्रा०पत्र मानना भी सही नहीं होगा। उसमें अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध सारवान् आपत्तियां स्वयं अंकित हैं। अर्थात् पुनरीक्षणकर्ता को अन्तिम रिपोर्ट की पूर्ण जानकारी थी तथा उसने उसके विरुद्ध अपनी असहमति न्यायालय के समक्ष लिखित रूप से व्यक्त कर दी थी।

11– पुनः यह तथ्य भी उपेक्षणीय नहीं है कि प्रार्थना पत्र 17.07.2025 को दिया गया और आक्षेपित आदेश 23.01.2026 को, अर्थात लगभग छह माह बाद पारित हुआ। इस लगभग छह माह की अवधि में पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कोई पृथक विस्तृत प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल किये जाने का तथ्य अभिलेख से प्रकट नहीं होता। ऐसा भी कोई आदेश अथवा प्रार्थना पत्र इंगित नहीं कराया गया, जिससे यह दर्शित होता हो कि पुनरीक्षणकर्ता ने प्रोटेस्ट पिटीशन दाखिल करने का प्रयास किया और न्यायालय ने उसे दाखिल करने से मना कर दिया। यह भी महत्वपूर्ण है कि आक्षेपित आदेश दिनांक 23.01.2026 में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा यह अंकित किया गया है कि पुकार पर प्रार्थी अनुपस्थित था। अतः एक ओर पुनरीक्षणकर्ता को अन्तिम रिपोर्ट की जानकारी थी, उसने लिखित आपत्तियां भी अपने प्रार्थना पत्र के माध्यम से प्रस्तुत की तत्पश्चात पर्याप्त समय

भी व्यतीत हुआ तथा दूसरी ओर अन्तिम निर्णय की तिथि पर वह स्वयं उपस्थित नहीं था। इन समस्त परिस्थितियों के दृष्टिगत, मात्र यह तथ्य कि 17.07.2025 के प्रार्थना पत्र की अंतिम पंक्ति में पृथक प्रोटेस्ट पिटीशन प्रस्तुत करने का अवसर मांगा गया था, यह निष्कर्ष निकालने के लिए पर्याप्त नहीं है कि उसे सुनवाई का वास्तिवक/ प्रभावी अवसर (effective opportunity of hearing) से वंचित कर दिया गया।

12– यदि किसी व्यक्ति को अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति रखने का अवसर मिल चुका है, उसकी लिखित आपत्ति अभिलेख पर है और वह उपलब्ध समय का उपयोग कोई अन्य सामग्री दाखिल करने में नहीं करता, तो न्यायालय को अनिश्चित काल तक अन्तिम रिपोर्ट पर आदेश टालते रहने के लिए बाध्य नहीं माना जा सकता। अन्तिम रिपोर्ट के विरुद्ध आपत्ति का उद्देश्य मजिस्ट्रेट का ध्यान केस डायरी एवं सुसंगत सामग्री की ओर आकर्षित करना है; कोई विशेष शब्दावली (nomenclature) स्वयं में निर्णायक नहीं है। Mukhtar Zaidi के विधिक दृष्टान्त में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी स्वरूप (form) से अधिक सार (substance) तथा मजिस्ट्रेट की न्यायिक संवीक्षा (judicial scrutiny) को महत्व दिया है। इसलिए अवसर से वंचित करने सम्बंधी आधार वर्तमान तथ्यों पर स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है।

13– पुनः पुनरीक्षणकर्ता का मूल आधार यह है कि जब युसूफ अली ने दिनांक 12.02.2002 को अपना बचा हुआ पूरा हिस्सा उसके पक्ष में विक्रय कर दिया था, तब दिनांक 04.07.2002 को युसूफ अली के पास पुनः विक्रय करने का कोई अधिकार शेष नहीं था। यदि पुनरीक्षणकर्ता का उक्त कथन स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी दो भिन्न विधिक प्रश्न उत्पन्न होते हैं; प्रथम, क्या बाद का विक्रयपत्र पूर्ववर्ती विक्रयपत्र के कारण स्वत्व प्रदान करने में सक्षम था? द्वितीय, क्या बाद का विक्रयपत्र इसलिए स्वतः "कूटरचित दस्तावेज (forged document)" बन जाता है?

14– अधिकारविहीन विक्रय और कूटरचित दस्तावेज (forged document) में अंतर हैं।माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टान्त Mohammed Ibrahim v. State of Bihar, (2009) 8 SCC 751 के सिद्धान्त को अभी हाल में विधिक दृष्टान्त S. Anand v. State of Tamil Nadu, 2026 INSC 418 में पुनः लागू किया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति स्वयं कोई विक्रय–पत्र निष्पादित करता है और ऐसी सम्पत्ति को अपनी बताते हुए हस्तांतरित करता है, जिस पर वास्तव में उसका स्वामित्व अथवा हस्तांतरणीय अधिकार नहीं है, तो मात्र इसी कारण वह विक्रय–पत्र स्वतः "जाली दस्तावेज (false document)" अथवा "कूटरचित दस्तावेज (forged document)" नहीं बन जाती। परिस्थितियों में क्रेता के साथ छल (cheating) का प्रश्न अलग हो सकता है, लेकिन कूटरचना (कूटरचन) के लिए जाली दस्तावेज संबंधी आवश्यक तत्व होने चाहिए।

15– वर्तमान प्रकरण में पुनरीक्षणकर्ता का मुख्य आरोप यह है कि युसूफ अली के पास दिनांक 04.07.2002 को बेचने के लिए कोई हिस्सा शेष नहीं था। परन्तु ऐसा कोई विशिष्ट तथ्य प्रथमदृष्टया सामने नहीं आता कि युसूफ अली के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को खड़ा किया गया; किसी व्यक्ति ने स्वयं को युसूफ अली बताकर दस्तावेज निष्पादित किया; युसूफ अली के हस्ताक्षर/अंगूठा निशान किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बनाये गये; किसी पूर्व दस्तावेज में परिवर्तन (alteration) किया गया; अथवा किसी न्यायालय/ लोक रजिस्टर की कूटरचना की गयी। ऐसी स्थिति में यदि स्वयं युसूफ अली द्वारा बाद का विक्रयपत्र निष्पादित किया गया था, तो यह प्रश्न कि उस समय उसके पास अंतरण–योग्य (transferable) स्वत्व कितना शेष था, मुख्यतः दस्तावेजों की पूर्वता (priority) एवं स्वत्व से जुड़ा प्रश्न है। इसका यह अर्थ नहीं है कि भूमि के विवाद में कभी आपराधिक अपराध नहीं हो सकता। यदि प्रतिरूपण (impersonation), जाली हस्ताक्षर (forged signature), कूटरचित दस्तावेज (fabricated document), बेईमानीपूर्ण प्रलोभन (dishonest inducement) अथवा अन्य स्वतंत्र आपराधिक तत्व मौजूद हों तो दीवानी कार्यवाही के साथ दाण्डिक कार्यवाही भी चल सकती है। परन्तु मात्र "मेरा विलेख पहले है, इसलिए बाद वाला विलेख कूटरचित है" ऐसा निष्कर्ष आपराधिक विधि में स्वतः नहीं निकलता। यही भेद Mohammed Ibrahim के विधिक दृष्टान्त में पारित सिद्धान्त का मूल है, जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अप्रैल 2026 में पुनः लागू किया।

16– धारा 419 भा०दं०सं० प्रतिरूपण द्वारा छल से संबंधित है। प्रतिरूपण के लिए किसी व्यक्ति द्वारा स्वयं को कोई अन्य व्यक्ति बताना अथवा जानबूझकर एक व्यक्ति के स्थान पर किसी दूसरे व्यक्ति को प्रस्तुत करना आवश्यक है। भा०दं०सं० की धारा 416 इसी अवधारणा को परिभाषित करती है। प्रस्तुत अभिलेख में ऐसा कोई विशिष्ट सामग्री नहीं दिखाया गया कि दिनांक 04.07.2002 के कथित विक्रयपत्र को निष्पादित करने हेतु किसी अन्य व्यक्ति को युसूफ अली बनाकर प्रस्तुत किया गया था। अतः उपलब्ध सामग्री के आधार पर धारा 419 भा०दं०सं० का आवश्यक अवयव प्रथमदृष्टया प्रदर्शित न होना मजिस्ट्रेट द्वारा अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करने के पक्ष में एक प्रासंगिक परिस्थिति है।

17– धारा 420 भा०दं०सं० के लिए मात्र सदोष हानि पर्याप्त नहीं है; धोखा तथा उसके कारण कपटपूर्ण/ बेईमानीपूर्ण प्रलोभन से सम्पत्ति को प्रदत्त कराने जैसी वैधानिक आवश्यकताएं आवश्यक हैं। भा०दं०सं० की धारा 415 'छल' की मूल परिभाषा प्रदान करती है।

18– पुनरीक्षणकर्ता दिनांक 04.07.2002 के बाद वाले विक्रयपत्र का क्रेता नहीं है। उसका दावा यह है कि वह पूर्ववर्ती दिनांक 12.02.2002 के विक्रयपत्र का क्रेता है। उपलब्ध आरोपों से यह स्पष्ट नहीं होता कि दिनांक 04.07.2002 का कथित संव्यवहार कराने वाले प्रत्यर्थी पक्ष ने पुनरीक्षणकर्ता को कौन–सा दुर्व्यपदेशन कर उससे कोई सम्पत्ति, धन अथवा मूल्यवान प्रतिभूति दिलवायी। विधिक दृष्टान्त S. Anand में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विधिक दृषटान्त Mohammed Ibrahim को उद्धृत करते हुए कहा गया कि जहाँ परिवादी को अभियुक्त द्वारा छलपूर्वक प्रेरित (deceitfully induce) कर सम्पत्ति देने का मामला नहीं है और परिवादी उस बाद के विक्रय–संव्यवहार का क्रेता नहीं है, वहाँ मात्र विरोधी (rival) विक्रय–पत्र के आधार पर परिवादी के प्रति छल का अपराध स्वतः नहीं बनता। अतः धारा 420 भा०दं०सं० के संबंध में भी पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ऐसी विशिष्ट सामग्री नहीं दिखायी गयी है, जिससे मजिस्ट्रेट का निष्कर्ष स्पष्टतः असंभव अथवा दुराग्रही (perverse) कहा जा सके।

19– धारा 466 भा०दं०सं० विशेष रूप से न्यायालय अभिलेख, लोक रजिस्टर अथवा उसमें वर्णित श्रेणी के लोक दस्तावेजों की कूटरचना से संबंधित है। वर्तमान मामले में मूल आरोप एक विरोधी पंजीकृत विक्रय–पत्र के संबंध में है। मात्र किसी निजी विक्रय–पत्र का पंजीकरण हो जाना और उसके स्वत्व–प्रभाव पर विवाद होना स्वयं यह सिद्ध नहीं करता कि न्यायालय अभिलेख या लोक रजिस्टर की कूटरचना की गयी है। ऐसी कोई स्पष्ट सामग्री पुनरीक्षणकर्ता द्वारा इंगित नहीं किया गया कि उप–निबंधक के रजिस्टर में कोई कूटरचित प्रविष्टि की गयी, किसी लोक रजिस्टर में परिवर्तन (alter) किया गया अथवा किसी लोक सेवक द्वारा निर्मित अभिलेख को कूटचित किया गया। दूसरे शब्दों में, धारा 466 भा०दं०सं० के संबंध में भी अन्तिम रिपोर्ट को प्रत्यक्षतः असंगत नहीं कहा जा सकता।

20– धारा 471 भा०दं०सं० तभी आकर्षित होती है जब कोई व्यक्ति किसी कूटरचित दस्तावेज (forged document) को असली (genuine) के रूप में कपटपूर्ण या बेईमानीपूर्ण उपयोग करे और उसे उसके कूटरचित होने का ज्ञान अथवा विश्वास करने का कारण हो। अतः इस अपराध की मूलभूत अपेक्षा यह है कि जिस दस्तावेज के उपयोग का आरोप है, वह प्रथमदृष्टया कूटरचित दस्तावेज (forged document) हो। जब वर्तमान विवेचना में दिनांक 04.07.2002 के विलेख के संबंध में प्रतिरूपण, कूटरचित निष्पादन, फर्जी हस्ताक्षर/ अंगुष्ठ–चिन्ह अथवा अन्य मिथ्या दस्तावेज घटक की ठोस सामग्री नहीं मिली, तब उसके आधार पर धारा 471 भा०दं०सं० का अपराध स्वतः स्थापित नहीं हो सकता।

21– पुनः पुनरीक्षणकर्ता ने विशेष बल दिया है कि उसके साक्षियों के कथनों/शपथपत्रों को उचित महत्व नहीं दिया गया जबकि दूसरे पक्ष के साक्षियों पर विश्वास किया गया। इस संदर्भ में यह ध्यान रखना आवश्यक है कि मजिस्ट्रेट अन्तिम रिपोर्ट पर विचार करते समय केस डायरी एवं दौरान विवेचना संकलित साक्ष्य व सामग्री का स्वतंत्र मूल्यांकन कर सकता है। यदि प्रोटेस्ट पिटीशन के साथ अतिरिक्त शपथपत्रों अथवा ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत किया जाता है जो पुलिस विवेचना का भाग नहीं है और मजिस्ट्रेट उसी अतिरिक्त साक्ष्य के आधार पर संज्ञान लेना चाहता है, तो परिवाद प्रक्रिया का प्रश्न उत्पन्न होता है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने

विधिक दृष्टान्त Mukhtar Zaidi में इसी बिंदु पर कहा कि मजिस्ट्रेट अतिरिक्त शपथपत्रों को साक्ष्य की तरह लेकर सीधे पुलिस रिपोर्ट के माध्यम से संज्ञान नहीं ले सकता; ऐसे मामले में परिवाद प्रक्रिया का पालन आवश्यक हो सकता है। अतः पुनरीक्षणकर्ता द्वारा कुछ शपथपत्रों प्रस्तुत कर दिये जाने मात्र से मजिस्ट्रेट के लिए अन्तिम रिपोर्ट अस्वीकार करना अथवा अभियुक्तों को तलब करना अनिवार्य नहीं हो जाता। निर्णायक प्रश्न फिर यही है कि क्या केस डायरी में ऐसा प्रथम दृष्ट्या सामग्री मौजूद थी, जिसकी स्पष्ट उपेक्षा हुई हो। वर्तमान पुनरीक्षण में ऐसी कोई विशिष्ट तात्विक परिस्थिति इंगित नहीं की गयी, जिससे कहा जा सके कि उपलब्ध पुलिस साक्ष्य अनिवार्य रूप से अभियुक्तों को विचारण के लिए भेजे जाने की मांग करता था।

22– आलोच्य आदेश में विद्वान मजिस्ट्रेट द्वारा प्रकरण को दीवानी प्रकृति का बताया गया है। इस संबंध में यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि मात्र भूमि–विवाद अथवा दीवानी वाद लंबित होने के कारण मारपीट, धमकी, गाली–गलौज अथवा रिष्टि जैसे स्वतंत्र आपराधिक आरोप स्वतः समाप्त नहीं हो जाते। अतः इन आरोपों का परीक्षण भूमि संबंधी विवाद से स्वतंत्र रूप से किया जाना आवश्यक है।

23– उपलब्ध अभिलेख से वर्ष 2019 की कथित घटना के संबंध में आरोप अवश्य सामने आते हैं, परन्तु पुनरीक्षणकर्ता द्वारा ऐसी कोई ठोस वस्तुनिष्ठ सामग्री इस न्यायालय के समक्ष इंगित नहीं की गयी, जिसकी विवेचक द्वारा विधिविरुद्ध अनदेखी की गयी हो; जिसे मजिस्ट्रेट ने अभिलेख पर होते हुए भी बिल्कुल विचार में न लिया हो अथवा जो प्रथम दृष्ट्या ऐसा ठोस स्वतंत्र सम्पुष्टि देता हो कि अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार करना एक ऐसा निष्कर्ष बन जाए, जिसे कोई न्यायिक व्यक्ति युक्तियुक्त रूप से अपना ही न सकता हो। इस संबंध में मजिस्ट्रेट ने विवेचना के दौरान संकलित सामग्री एवं गवाहों के कथनों का उल्लेख करते हुए यह निष्कर्ष निकाला कि कथित आपराधिक घटना की ऐसी पुष्टि नहीं हुई जिससे अभियुक्तों को विचारण के लिए भेजना उचित हो। पुनरीक्षण न्यायालय इस स्तर पर स्वयं विचारण न्यायालय की तरह प्रत्येक साक्षी की विश्वसनीयता का पुनर्मूल्यांकन नहीं कर सकता, जब तक मजिस्ट्रेट के निष्कर्ष में विकृति (perversity), स्पष्ट प्रक्रियात्मक दोष (glaring procedural defect) या तात्विक साक्ष्य की स्पष्ट उपेक्षा न हो।

24– यहां उल्लेखनीय है कि वर्तमान मामले का एक अन्य महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि प्रथम अन्तिम रिपोर्ट को न्यायालय ने सीधे स्वीकार नहीं किया था। पूर्व अन्तिम रिपोर्ट के बाद स्वयं न्यायालय ने दिनांक 18.12.2021 को अग्रेतर विवेचना का आदेश दिया। उसके पश्चात पुलिस ने पुनः जांच कर पक्षकारों के भूमि संबंधी दस्तावेज, खतौनी, विक्रयपत्र, संबंधित कार्यवाहियां एवं कथन देखकर फिर अन्तिम रिपोर्ट प्रस्तुत की। मात्र इस तथ्य से दूसरी अन्तिम रिपोर्ट सही सिद्ध नहीं हो जाती, परन्तु यह अवश्य स्पष्ट होता है कि यह ऐसा मामला नहीं है जिसमें परिवादी की व्यथा/ शिकायत को बिना किसी पुनः परीक्षण के प्रथम पुलिस निष्कर्ष पर ही समाप्त कर दिया गया हो। अन्ततः दूसरी अन्तिम रिपोर्ट पर भी पुनरीक्षणकर्ता की लिखित आपत्ति विद्वान मजिस्ट्रेट के समक्ष मौजूद थी और मजिस्ट्रेट ने उसकी आपत्तियों तथा जांच सामग्री का उल्लेख करते हुए कारणयुक्त आदेश पारित किया।

25– पुनरीक्षणकर्ता की यह आपत्ति आंशिक रूप से उचित है कि मात्र यह कहना कि मामला "दीवानी प्रकृति का" है, किसी आपराधिक आरोप को समाप्त करने के लिए अपने–आप पर्याप्त नहीं है। परन्तु आक्षेपित आदेश के समग्र अवलोकन से यह नहीं पाया जाता कि मजिस्ट्रेट ने सिर्फ इस एक वाक्य के आधार पर अन्तिम रिपोर्ट स्वीकार की हो। वि० मजिस्ट्रेट ने विवादित विक्रयपत्रों का क्रम, राजस्व कार्यवाहियों, रजिस्ट्री विवाद, गवाहों तथा विवेचना में संकलित सामग्री पर भी विचार किया है। अतः आक्षेपित आदेश में प्रयुक्त "विशुद्ध सिविल प्रकृति" की अभिव्यक्ति को अत्यधिक व्यापक अर्थ में स्वीकार करना उचित न होते हुए भी, उस आदेश का अंतिम निष्कर्ष मात्र उस अभिव्यक्ति पर आधारित नहीं है। दीवानी विवाद का अस्तित्व आपराधिक अभियोजन को स्वतः समाप्त नहीं करता, परन्तु प्रत्येक कथित आपराधिक अपराध के स्वतंत्र वैधानिक अवयवों का उपलब्ध होना आवश्यक है। वर्तमान मामले में ऐसे स्वतंत्र अवयवों के संबंध में पर्याप्त प्रथम दृष्ट्या पुलिस सामग्री नहीं पाया गया।

26– उक्त बिन्दुओं के उपर्युक्तानुसार निस्तारण से स्पष्ट है कि आक्षेपित आदेश में ऐसी कोई स्पष्ट अवैधता (manifest illegality), विकृति (perversity) अथवा महत्वपूर्ण प्रक्रियागत अनियमितता (material irregularity) विद्यमान नहीं है, जिसके कारण उसमें कोई हस्तक्षेप किया जाना आवश्यक हो।

27– उपरोक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से स्पष्ट है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा विधि अनुसार आलोच्य आदेश पारित किया गया है और उसमें कोई विधिक त्रुटि दर्शित नहीं होती है तथा विद्वान अवर न्यायालय द्वारा स्वयं में निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने में कोई अनियमितता कारित नहीं की गयी है। आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप करने का कोई न्यायोचित आधार नहीं है। तद्नुसार निगरानीकर्ती की ओर से प्रस्तुत दाण्डिक निगरानी निरस्त होने योग्य है।

आदेश

28– दाण्डिक पुनरीक्षण संख्या–29/2026 पुत्तन अली बनाम वसीयन आदि निरस्त की जाती है। विद्वान न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, मोहम्मदी–खीरी द्वारा प्रकीर्ण फौ० सं०–172/2025, पुत्तन अली बनाम वसीयन बेगम आदि में पारित आलोच्य आदेश दिनांकित 23–01–2026 की पुष्टि की जाती है।

29– इस आदेश की एक प्रति मय मूल पत्रावली आवश्यक कार्यवाही हेतु विद्वान अवर न्यायालय में प्रेषित हो।

दिनांक: 14.08.2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।
जे०ओ० कोड–(UP 1561)

उक्त निर्णय/ आदेश आज स्वयं मेरे द्वारा हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

दिनांक: 14.08.2026

(अभिषेक कुमार श्रीवास्तव)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कोर्ट नं०–6, लखीमपुर–खीरी।
जे०ओ० कोड–(UP 1561)

Digitally signed by ABHISHEK KUMAR SRIVASTAVA
Date: 2026.08.14 17:23:48 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court